आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार

(बिहार सरकार का एक उपक्रम)

प्रथम तल, उद्योग भवन, पूर्वी गाँधी मैदान, पटना

Email idabihar@rediffmail.com Website-www.idabihar.com, Phone/Fax: 0612-2302991, 2302998/230298

सूचना– ०६/०९

आदर्श केन्द्रीय कारा, बेउर में बेकरी प्लांट के निर्माण कार्य के संवेदक, मेसर्स जय अम्बे रिजेन्सी प्रा0 लि0, 3 रोड नं0–1, शिवपुरी, शास्त्रीनगर, पटना–23/ मेसर्स जय अम्बे रिजेन्सी रिजेन्सी प्रा0 लि0, 201 राम उग्रह गायत्री अपार्टमेंट, शिवपुरी, शास्त्रीनगर, पटना–23 को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि पिछले आठ महीनों से उनके द्वारा बिना किसी कारण के निर्माण कार्य को बन्द कर दिया गया है। इस कार्यालय के पत्रांक 1186 दिनांक 28.04.09, 1587 दिनांक 04.06.09 द्वारा अपनी स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया। पत्र निबंधित डाक से भेजे गये किन्तु दोनों पत्र क्रमशः "लेने से इन्कार किया गया" एवं "No Tress" की अभियुक्ति के साथ डाक–विभाग द्वारा वापस लौटा दिये गये।

दिनांक 07.07.09 को संवेदक द्वारा शेष काम समाप्त करने के लिए समयवृद्धि की माँग की गई एवं प्राधिकार द्वारा उन्हें मौका देते हुए पत्र सं0 1865 दिनांक 15.07.09 द्वारा 30.11.09 तक समयवृद्धि इस शर्त्त के साथ दी गई कि "प्रत्येक माह कार्य की वित्तीय प्रगति 6 लाख रूपये हो। आपेक्षिक प्रगति नहीं होने पर पेनाल्टी एवं लगातार कार्यों की प्रगति में शिथिलता पाये जाने पर एकरारनामा रद्द करने एवं सुरक्षित राशि जब्त करने पर विचार किया जाएगा।"

किन्तु यह निबंधित पत्र भी डाक विभाग द्वारा अभियुक्ति के साथ लौटा दिया गया। पुनः उन्हें एक सप्ताह के अंदर कार्य प्रारंभ करने का अंतिम मौका देते हुए नोटिस निबंधित पत्र भेजा गया, जो डाक विभाग द्वारा अभियुक्ति के साथ लौटा दिया गया है।

अतः संवेदक को समाचार पत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस सूचना प्रकाशन की तिथि से एक सप्ताह के अंदर निदेशक (कार्यक्रम कार्यान्वयन), आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार के समक्ष लिखित रूप में स्वयं अपनी स्थिति स्पष्ट करें अन्यथा उनका एकरारनामा रद्द करते हुए सुरक्षित जमा राशि जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी। इसे अंतिम नोटिस समझा जाय।

परामर्शी (संरचना)/मुख्य परामर्शी (तकनीकी)